रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082020-221324
CG-DL-E-24082020-221324

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2020/भाद्र 2, 1942
No. 419] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2020/BHADRA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 525 (अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-VII में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में, मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(ix)(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अभिकरण द्वारा वित्त-पोषित इनक्यूबेटरों अथवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और औषध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अभिदाय; और

(ख) संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को बढावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और औषध के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के संचालन में कार्यरत परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई); जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); औषध विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

(आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर); और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन स्थापित लोक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों को अभिदाय।"।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[ई-फा. सं. सीएसआर-07/2/2020-सीएसआर-एमसीए]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुई और उसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि.130(अ), तारीख 27 फरवरी, 2014, शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि.261(अ), तारीख 31 मार्च, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568(अ), तारीख 06 अगस्त, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ), तारीख 30 मई, 2019, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2019, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 859(अ), तारीख 19 नवंबर, 2019 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ), तारीख 23 जून, 2020 के द्वारा संशोधित (01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी) की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2020

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule VII to the said Act, namely:-

In the said Schedule, for item (ix) and the entries thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"(ix) (a) Contribution to incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs)".

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[E-F. No. CSR-07/2/2020-CSR-MCA]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Schedule VII to the Companies Act, 2013 was brought into force with effect from the 1st April, 2014 and was amended (effective from the 1st April, 2014) *vide* notification number G.S.R. 130(E), dated the 27th February, 2014, Corrigendum number G.S.R. 261(E), dated the 31st March, 2014, notification number G.S.R. 568(E), dated the 6th August, 2014, notification number G.S.R. 741(E), dated the 24th October, 2014, notification number G.S.R. 390(E), dated the 30th May, 2019, notification number G.S.R. 776(E), dated the 11th October, 2019, Corrigendum number G.S.R. 859(E), dated the 19th November, 2019, and notification number G.S.R. 399(E) dated the 23rd June, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA